<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–02, अलीगढ़</u>
उपस्थितः–अभिषेक त्रिपाठी–II (उ.प्र. न्यायिक सेवा)
(जे.ओ.कोड–यू.पी.3320)
परिवाद सं०–4021/22
हुकुम सिंह बनाम रामू आदि

दिनांक–19/01/2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा 200 सी आर पी सी हेतु नियत चल रही है। परिवादी लगातार अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से कोई हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं है। परिवादी को उपस्थिति हेतु अवसर भी प्रदान किया गया परंतु आज भी परिवादी अनुपस्थित है। अतः ऐसी स्थिति में परिवाद को लंबित रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा–203 दंड प्रक्रिया संहिता खारिज किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा–203 दंड प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अभिषेक त्रिपाठी–II)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या–02, अलीगढ़

Digitally signed by Abhishek tripathi
Date: 2024.01.19 16:31:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court